(b) In both the cases the accused have been arrested and police investigation is in progress. The Chief Postmaster General, Karala Circle is keeping close liaison with top police authorities.

These are two separate incidents which are unconnected. There is no panic amongst the ED staff.

Rotational transfer of Scientific and technical non-Gazetted Staff of DGQA organisation

2656. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether a policy, based on the principle of longest station seniority for Rotational transfer of scientific and technical non-Gazetted staff of DGQA Organisation, including Senior Scientific Assistants, Gr. I and Senior Scientific Assistants, is in existence;

(b) whether it is a fact that the basic principle of longest station seniority has been seriously violated by not transferring more than 25 Senior Scientific Assistants of CQAE(M), Kanpur, under the DGQA, having longer station seniority, while Junior Scientific Assistants Gr. I, having station seniority much less in comparison to the said Senior Scientific Assistants, have been tranferred;

(c) whether Government had decided that only Senior Supervisory Staff Group 'C' would be transferred, if so, on what grounds Junior Scientific Assistants Gr. I, who are not Senior Supervisory Staff, are being transferred; and

(d) whether the prevalent rotational transfer policy in DGQA would be amended to remove the said discrimination?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI D. L. BAITHA): (a) to (d) The principles underlying the rotational transfer policy for the technical/scientific non-Gazetted staff of the Directorate General of Quality Assurance Organisation, introduced in March, 1988, are:

(1) Staff in sensitive posts are to be transferred on completion of 5 years to a non-sensitive post in another establishment in the same station failing which to another station, subject to the availability of vacancies.

(2) Within the same establishment, a person can be transferred from a non-sensitive to a sensitive post, provided the total stay in the same station shall not exceed 10 years.

(3) For the purpose of transfer from one post to another post in the same establishment or to another establishment in the same station, preference will be given to a person with a shorter station seniority over the one having longer stay.

The posts of Senior Scientific Assistant and Junior Scientific Assistant Gde. I come within the purview of this rotational transfer policy.

25. Senior Scientific Assistants of Chemistry discipline belonging to CQAE(M) and the Controllerate of Quality Assurance (Petroleum Products), Kanpur, could not be transferred in the absence of suitable vacancies in the Establishments outside Kanpur. Senior Scientific Assistant and Junior Scientific Assistant Grade I are two different grades and are not inter-changeable. The Junior Scientific Assistants Gr. I, who have been transferred, had the longest station seniority among the personnel in that grade. Thus the basic principle of longest station seniority has not been violated while implementing the rotational transfer policy. There is no discrimination against any category of staff under this policy.

रक्षा स्थापनाओं के लिए दूध की खरीद

2657. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहां दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसाइटियां अथवा

सरकारी डेरी फार्म उपलब्ध हैं, वहां केवल उन डेरी फार्मों अथवा सोसाइटियों से दूध खरीदने के संबंध में रक्षा स्थापनाओं को कोई अनुदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन रक्षा स्थापनाओं के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं जो इस प्रकार के अनुदेशों के बावजूद प्राइवेट दूध वितरकों से दूध खरीदते हैं तथा सरकार के अनुदेशों को पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां रक्षा स्थापनाएं दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटियों अथवा सार्वजनिक डेरियों/फार्मों से दूध की खरीद करती हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी. एस० बैठा): (क) से (ग) सरकार ने दूध खरीदने के लिए सरकारी दुग्ध योजनाओं और सहकारी संघों से बातचीत द्वारा ठेके तय करने के संबंध में सेना प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए हैं । सहकारी संघों के साथ ठेके ऐसे स्थानों पर किए जाएं जहां वे मूल्य निर्धारण, उत्पाद की विशिष्टियों, सप्लाई के निरीक्षण और भुगतान की प्रक्रियाओं के संबंध में निर्धारित शर्तों पर दूध की सप्लाई करने को तैयार हों । जिन स्टेशनों पर दुग्ध योजनाओं सहकारी संघों तथा प्राइवेट सप्लायरों से दूध खरीदा जा रहा है उन स्टेशनों की सूची क्रमशः विवरण (1) और (2) में दी गई है। ऐसी दुग्ध योजनाओं से दूध न खरीदे जाने के कारण, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:—

(1) उन स्टेशनों पर कोई दुग्ध योजना सहकारी संघ नहीं है अथवा दुग्ध योजना दूध सप्लाई करने में असमर्थ है अथवा दूध सप्लाई करने की इच्छुक नहीं है ।

(2) दूध अपेक्षित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं होता ।

(3) दुग्ध योजनाओं/कोआपरेटिव संघों को भुगतान की प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं होती ।

(4) दुग्ध योजनाओं/कोपरेटिव संघों और थलसेना अधिकारियों के बीच कीमतों पर समझौता नहीं हो पाता ।

विवरण–1

वे स्थान जहाँ सरकारी दुग्ध योजनाओं सहकारी संघों से दूध खरीदा जा रहा है

(1) **सेना सेवा कोरों के माध्यम से खरीददारी**

क्रम संख्या	स्थान
1	जामनगर
2	भुज
3	सी ओ डी मलाद
4	आई एन एस हमला
5	लोनावाला
6	मानखुर्द
7	औरंगाबाद
8	गांधी धाम
9	ट्रोम्बे
10	थाने
11	धरंग धर
12	भंडारा
13	भुसावाल
14	चांदा
15	त्रिवेन्द्रम
16	कन्नानोर
17	कोयम्बतूर
18	तिरुचिरापल्ली
19	सुलार
20	मैसूर
21	बिदार
22	पुलगांव
23	नागपुर
24	कोहलापुर
25	जसाई
26	जैसलमेर

क्रम संख्या	स्थान
27	पोकरन
28	अजमेर
29	भरतपुर
30	धौलपुर
31	उदयपुर
32	दिल्ली
33	हिंडन
34	गुड़गांव
35	फरीदाबाद
36	मानेसर
37	सूतरगढ़
38	भटिंडा
39	हिसार
40	संगरूर
41	तिबरी
42	हलवारा
43	पट्टी
44	बरनाला
45	लुधियाना
46	बसियाना
47	डेराबाबा नानक
48	शिमला हिल्स
49	नहान
50	नाल
51	बाज्जू
52	लालगढ़ जत्तन
53	गंगा नगर
54	गोवाल पुर
55	भुवनेश्वर
56	बालाशोर
57	मुजफ्फर पुर
58	जमशेदपुर
59	वाराणसी
60	गोरखपुर
61	पंचमढ़ी
62	कटनी
63	इटारसी
64	जमालपुर
65	हल्द्वानी
66	भावली (ए एफ)
67	बनबस्सा
68	नैनीताल
69	अल्मोड़ा
70	कौशानी
71	शाहाजहांपुर
72	30 विंग ए एफ सरसावा
73	12 जी आर सरसावा
74	कलसी
75	नरेन्द्र नगर

2. मिलिटरी फार्म निदेशालय के माध्यम से खरीदारी

76.	गंगटोक
77.	नमकुम
78.	अहमदाबाद
79.	नसीराबान
80.	अलवर
81.	कोटा
82.	जयपुर
83.	सिकन्दराबाद
84.	विलिंग्टन
85.	बीकानेर
86.	मद्रास

3. नौसेना के माध्यम से खरीददारी

87.	कोचीन
88.	विशाखापत्तनम
89.	चिल्का

विवरण–2

वे स्थान जहां निजी ऐजेंसियों (दुग्ध योजनाओं/सहकारी संघों के अलावा) से दूध खरीदा जा रहा है।

(1) सेना सेवा कोर के माध्यम से खरीददारी

क्रम संख्या	स्थान
1.	शंकरापल्ली
2.	सूर्यालंका
3.	मेडक
4.	पुरन्धर फोर्ट
5.	रावतभाटा
6.	लेबौंग/बगोरा हिल
7.	कलाई कुंडा
8.	डायमंड हार्बर
9.	सल्वा
10.	आद्रा
11.	दिगारू
12.	पनेरी
13.	दुमदुमा
14.	लेखाबली
15.	तीजू
16.	मिसा
17.	हिडन
18.	रजोकड़ी
19.	मुल्लाकपुर
20.	बरवाला
21.	चंडीगढ़
22.	बाकनूर
23.	राजपुरा
24.	कालपी
25	मोगा
26.	सिरसा
27.	दिहता
28.	दरभंगा
29.	सिंगरारी
30.	शाहजहांपुर
31.	चकराता
32.	बाराबंकी
33.	बक्शी-का-तालाब
34.	मेमूरा
35.	अकोला
36.	किथम
37.	करीकुल्ली मंसूरी
38.	दिवस लंडोर
39.	मुरादनगर
40.	हेमपुर
41.	बाबूगढ़
42.	कमोला
43.	सकोली
44.	साम्बा
45.	जम्मू
46.	वांदीपुर
47.	जिदरा

(2) मिलिटरी फार्म निदेशालय के माध्यम से खरीदारी

48.	अहमदनगर
49.	जोधपुर
50.	बंगलौर
51.	बेलगांव
52.	बड़ौदा
53.	कोलाबा
54.	देवलाली
55.	दीमापुर
56.	पिम्परी
57.	कम्पटी
58.	मार्गो
59.	विशाखापट्टनम
60.	बेंगदुबी

क्रम संख्या	स्थान
61.	मिसामारी
62.	गौहाटी
63.	बीनागुड़ी
64.	पानागढ़
65.	कलकत्ता
66.	तेजपुर
67.	डेमडिम
68.	आशोमारा
69.	पानीतोला
70.	शिलांग
71.	अम्बाला
72.	दागशाही
73.	फिरोजपुर
74.	जालंधर
75.	आगरा
76.	इलाहाबाद
77.	बरेली
78.	देहरादून
79.	जबलपुर
80.	झांसी
81.	कानपुर
82.	लखनऊ
83.	मेरठ
84.	मऊ
85.	पियोरागढ़
86.	भोपाल
87.	ग्वालियर
88.	दानापुर
89.	फैजाबाद
90.	गया
91.	लैंसडाउन
92.	रानीखेत
93.	रूड़की
94.	सागर
95.	फतेहगढ़
96.	श्रीनगर
97.	उधमपुर
98.	योल
99.	नौशेरा
100.	डलहौजी
101.	जम्मू
102.	पठानकोट
103.	राजौरी
104.	बारामुल्ला
	नौसेना के माध्यम से खरीददारी
105.	भीमूनिपत्तनम
106.	सुनेबेडा

सतर्कता आयोग के तंत्र का सुदृढ़ किया जाना

2658. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग का सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कदाचारों को रोकने के लिए अपने तंत्र को सुदृढ़ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार और कदाचारों के कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क)